Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 2 | FEBRUARY 2025

मारवाड रियासत:- सामन्त व्यवस्था व जन प्रतिरोध एवं सशास्त्र बल

डॉ. यशवंत राज [1]

[1] गेस्ट फैकल्टी (विद्या संबल योजना), राजकीय महाविद्यालय पीपाड़ शहर.

ABSTRACT:

1818 की संधियों के अन्तर्गत मारवाड़ सहित राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश प्रभाव पड़ने लगा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रसार साथ ही अनेक चुनौतियों कम्पनी के सामने आने लगी इन चुनौतियों में विविध राज्यों में शांति व्यवस्था बनाये रखना, राजस्व वसूली, दस्यु जनसुरक्षा, अपराध नियंत्रण आदि प्रमुख रही। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बल एवं पुलिस बल का संस्थागत विकास किया जाना आवश्यक लगने लगा। इसी क्रम में मारवाड़ एवं राजपूताना के अन्य क्षेत्रों में जोधपुर लीजियन मेर रेजीमेंट, शेखावाटी बिग्रेड, भील कोर, कोटा कन्टिनर्जेंट, रेलवे पुलिस आदि का विकास किया गया। इनका सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकारें वहन करती थीं। राज्य में शान्ति भंग होने की स्थिति में शासक द्वारा उक्त सैनिक दस्तों का प्रयोग किया जा सकता था। शासकों के लिए सामन्तों का विशेष महत्त्व नहीं रहा।

KEYWORDS:

राजपूताना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, दस्यु, जनसुरक्षा, अपराध नियंत्रण, सशस्त्र बल, जोधपुर लीजियन, मेर रेजीमेंट, शेखावाटी बिग्रेड, भील कोर, कोटा कन्टिनर्जेंट, रेलवे पुलिस बंगाल नेटिव आर्मी, आर्म एक्ट 1857. पुलिस आयोग, इंटरनेशल कोर्ट आफ वकील, किलेदार, पॉलिटिकल एजेंट, भीमट क्षेत्र।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
25th February 2025	28th February 2025

प्रस्तावना

उन्नीसवीं शताब्दी के पूवार्द्ध तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में उपनिवेशवाद का प्रसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा कर दिया गया था। 1818 की संधियों के अन्तर्गत मारवाड़ सहित राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश प्रभाव पड़ने लगा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रसार साथ ही अनेक चुनौतियों कम्पनी के सामने आने लगी इन चुनौतियों में विविध राज्यों में शांति व्यवस्था बनाये रखना, राजस्व वसूली, दस्यु, जनसुरक्षा, अपराध नियंत्रण आदि प्रमुख रहो। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बल एवं पुलिस बल का संस्थागत विकास किया जाना आवश्यक लगने लगा। किन्तु कम्पनी सरकार के लिए यह भी आवश्यक था कि औपनिवेशिक ढाँचे के अन्तर्गत ही इन बलों का विकास किया जाए। ऐसे बलों की नींव बंगाल नेटिव आर्मी, वेलेजलो द्वारा प्रस्तावित सहायक सेना आदि के रूप में पूर्व में रखी जा चुकी थी। इसी क्रम में मारवाड़ एवं राजपूताना के अन्य क्षेत्रों में जोधपुर लीजियन मेर रेजीमेंट, शेखावाटी बिग्रेड, भील कोर कोटा कन्टिनर्जेंट, रेलवे पुलिस आदि का विकास किया गया।

ब्रिटिश शासन द्वारा शाति स्थापित करने तथा हिंसक अपराध रोकने के लिए सितम्बर 1857 को ष्आर्म एक्ट 1857ष पारित किया। इससे शस्त्रों के व्यापार, निर्माण एवं रखना तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।श मारवाड़ जैसी भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में महारानी विक्टोरिया ने 1858 में अपनी घोषणा में भारतवासियों को विश्वास दिलाया कि ष्हम अपने भारतीय राज्य के देशी लोगों के प्रति उसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिए कृतसंकल्प हैं, जो हमारे राज्य की सभी प्रजा के लिए लागू हैं। उनके अभ्युदय से हमारी शक्ति है, उसकी संतुष्टि में हमारी सुरक्षा है और उसकी कृतज्ञता प्राप्त करना ही हमारा सबसे अच्छा पुरस्कार है। अब ब्रिटेन से भारत में ब्रिटिश शासन संचालित होने लगा। ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए समय–समय पर प्रयास किये गये। अंग्रेजों ने वर्ष 1860 एवं 1902 में इस हेतु पुलिस आयोग का गठन किया। इनके माध्यम से भारत के उन राज्यों में जहाँ ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था पुलिस के संगठनात्मक स्वरूप एवं कार्य प्रणाली बेहतर बनाने के प्रयत्न किये गये। मारवाड़ जैसे रियासती राज्यों में यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर सशस्त्र बलों का संस्थागत विकास एवं अन्य जनसुरक्षा सम्बन्धी कानून नियम लागू किये गए।

अध्ययन का उद्देश्य

19वीं, 20वीं शताब्दी में मारवाड़ रियासत में होने वाली कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का समाना करने के लिए मारवाड़ रियासत सरकार एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मिलित एवं स्वतंत्र रूप से सशस्त्र बल गठित करने के सम्बध में जो कार्य योजनाएं बनायी गयीं उनका विश्लेषण किया गया है।

सामन्ती–जन प्रतिरोध एवं सशस्त्र बल

औपनिवेशिक सरकार द्वारा वेलेजली एवं लार्ड हैस्टिंग्ज के सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए सहायक सेना का विकास किया गया। राजपूताना के राज्यों ने 1817–18 में, अपने–अपने राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार से संधियां कर ली थी। इसी आधार पर राजाओं के व्यय पर जोधपुर लीजन जैसे सैन्य दल गठित किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता के समय ब्रिटिश सरकार राज्यों में शांति व्यवस्था बनाये रखने में करती थी। सीमा संबंधी विवादों के लिए श्इंटरनेशल कोर्ट आफ वकीलश संस्था बनायी गयी थी। ठगी एवं डकैती विभाग अपराधों की रोकथाम एवं डैकती उन्मूलन हेतु कार्य करता था एवं इस हेतु विशेष दस्तों का भी गठन किया गया। इसी क्रम में जोधपुर लीजन, मेर रेजीमेंट, भील कोर, शेखावाटी बिग्रेड आदि सशस्त्र बलों का गठन राजपूताना में किया गया। शहरों एवं किलों की सुरक्षा के लिए किलेदार की व्यवस्था थी।

मारवाड एवं जोधपुर लीजन

शांति व्यवस्था की दृष्टि स 1818 ई. की संधि के समय से ही मारवाड़ की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। नवम्बर, 1819 ई. कम्पनी सरकार ने टॉड को, जो कि मारवाड़ राज्य का राजनीतिक प्रभारी भी था, जोधपुर भेजा। टॉड ने राजा को यह प्रेरित किया कि वह राज्य प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करे, राज्य की आय और व्यय को नियमित बनाएँ, सेना का पुनर्गठन और बकाया वेतन का भुगतान करे, सीमाओं पर लूटमार को रोकने हेतु कारगर कदम उठाये तथा राज्य में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था करें। किन्तु मारवाड़ में अव्यवस्था का दौर पूर्ववत् चलता रहा। मारवाड़ की स्थिति बड़ी दयनीय थीं राज्य में दो प्रमुख दल थे जो एक दूसरे को समाप्त करने में लगे थे ठाकुर सालिमसिंह और अखैचन्द के हाथ में सत्ता थी। महाराजा की निष्क्रियता से राज्य में

अव्यवस्था फैल रही थी। राज्य सीमा पर लूट–खसोट की घटनाएँ होती रहती थीं जिसकी शिकायतें दिल्ली रेजीडेन्ट के पास पहुँच रही थीं। रेजीडेन्ट ने दिसम्बर, 1818 ई. में अजमेर सुपरिन्टेन्डेन्ट एफ. विल्डर को मारवाड़ राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। विल्डर ने जोधपुर पहुँच कर स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त की। उसने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को मारवाड़ राज्य में कानून और सुरक्षा स्थापित करने हेतु हस्तक्षेप करने की सिफारिश की थी।३

मारवाड़ एवं अंग्रेजों के बीच हुई सन्धि 1818 की 8वीं धारा के अन्तर्गत मारवाड़ द्वारा ब्रिटिश कम्पनी सरकार की सहायतार्थ 1500 सवार भेजने का प्रावधान था। समय–समय पर महाराजा मानसिंह द्वारा भेजे गये सवारों की सेवाओं से ब्रिटिश सरकार सन्तुष्ट नहीं थी। 7 दिसम्बर, 1835 ई. को कम्पनी सरकार और महाराजा मानसिंह के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार महाराजा को पूर्व स्वीकृत 1500 सवारों के बदले में 1 लाख 15 हजार रूपये सालाना कम्पनी सरकार को देने के लिए बाध्य किया गया। इस धनराशि से कम्पनी सरकार ने ऐरनपुरा में श्जोधपुर लीजन के नाम से एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। इसी बीच राज्य प्रशासन में नाथों का हस्तक्षेप भी होने लगा था। राज्य की आय का अधिकांश भाग नाथों पर खर्च किया जाने लगा। केप्टिन लुडलो ने नाथों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये। उसने श्जोधपुर लीजन की एक सैनिक टुकड़ी जोधपुर में नियुक्त कर दी।

सशस्त्र बलों के संस्थागत विकास के क्रम में ब्रिटिश पदाधिकारी सिद्धान्ततः सामन्तों की सैनिक शक्ति का अन्त कर उन्हें करदाता बना देने के पक्ष में थे। ऐसी धारणा बन चुकी थी कि उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली सेवा व चाकरी के बदले में उनसे निश्चित धनराशि वसूल की जाये। रेजीडेन्ट ऑक्टरलोनी का मत था कि ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त शासकों को तो खिराज देना पड़ता था, परन्तु सामन्ता, को जिन्हें ब्रिटिश संरक्षण का लाभपहुँच रहा थाय किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ रहा था, अतः उनसे भी खिराज जैसे कर की वसूली की जानी चाहिये। शासकों ने अपने सामन्तों से सेवा के बदले में रोकड़ धनराशि लेने की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया था उदाहरणार्थ, जब जोधपुर लीजन की स्थापना की गई उस समय इनके व्यय के लिए जोधपुर सरकार द्वारा दी जाने वाली 1,15,000 रूपयों की धनराशि जोधपुर राज्य के सामन्तों से उगाही जाने की व्यवस्था की गई थी।

मेर रेजीमेंट

मेरवाड़ा मारवाड़ की पूर्वी सीमा पर एक पहाड़ी प्रदेश है जिसमें मारवाड़ उदयपुर और अजमेर क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित थे। इसमें मेर जाति के लोग रहते थे। वे अपनी लूटमार की प्रवृत्तियों तथा अपने पाशविक अत्याचारों के कारण कुख्यात थे। जब कभी शासक की शक्ति क्षीण हो जाती, तब वे लूटमार कर इस प्रदेश की शान्ति भंग कर देते थे। 1818 ई. में तिटिश सरकार के साथ की गई सन्धि में यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रथम पाँच वर्ष तक मेवाड़ राज्य अपनी आय का चतुर्थांश, तत्पश्चात् उसका ३ध्8 भाग प्रतिवर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देगा। ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य में अराजकता का अन्त करने तथा वहाँ सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने हेतु कैप्टिन टॉड को उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त किया। 25 जून,

1818 ई. को ईस्ट इण्डिया कम्पनी और आलीजाह दौलतराव सिन्धिया (1794–1827) के बीच एक सन्धि हुई जिसके अनुसार अजमेर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने इस प्रदेश की रक्षा हेतु नसीराबाद में एक सैनिक छावनी भी स्थापित की।

मारवाड़ के पूर्वी क्षेत्र, मेवाड़ के कुछ भाग एवं अजमेर–मेरवाड़ में मेरों के उपद्रव को कुलचने के लिए मेवाड़ के राणा को मेरवाड़ा के अपने क्षेत्र का उचित प्रबन्ध करने को कहा गया। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जेम्स टॉड ने रूपाहेली के ठाकुर सालिमसिंह के नेतृत्व में एक मेवाड़ी सेना भेजी। अंग्रेजी सेना और मेवाड़ी सेना ने मिलकर मेरों को पराजित कर उनके मुख्य स्थान बोरवा, झाक और लुलुवा पर पुलिस थाने स्थापित कर दिये। क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की गई, परन्तु यह शान्ति आने वाले तूफान की सूचक थी। नवम्बर, 1820 ई. में मेरों ने पुनः लूटमार करना आरम्भ कर दिया। झाक थाने के अंग्रेज थानेदार की हत्या कर दी और अन्य थानों को भी क्षति पहुँचाई गई। एक बार फिर ब्रिटिश और मेवाड़ी सेनाओं ने मेरों के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की। रामगढ़ के युद्ध में 200 मेर मारे गये। मेरवाड़ा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस चौकियों स्थापित कर दी गई और क्षेत्र में शान्ति कायम हो गई।

मेरवाड़ा क्षेत्र में तीन राज्यों (अंग्रेज, मेवाड़ और मारवाड़) का अधिकार क्षेत्र था जिससे यहाँ की शासन व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। एक भाग के अभियुक्त दूसरे भाग में शरण लेते थे। ब्रिटिश रेजीडेन्ट ऑक्टरलोनी ने अनुभव किया कि इस क्षेत्र पर मात्र ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व रहना चाहिए। उसने केप्टिन हाल के नेतृत्व में मेरों की एक सेना (मेर बटालियन) का गठन किया। 1823 ई. में उदयपुर राज्य में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार महाराणा को मेवाड़ मेरवाड़ा के तीन परगने जिसमें 76 ग्राम थे, दस वर्षों के लिए अंग्रेज सरकार को सुपुर्द करने पड़े। इसके अतिरिक्त मेर रेजीमेंट के व्यय के लिए मेवाड़ सरकार 15000 रूपये (चितौड़ी) कम्पनी सरकार को देगी। इस समझौते की अवधि 1833 ई. में समाप्त होने पर आठ साल के लिए इसकी अवधि और बढ़ा दी गई। इसके अतिरिक्त उदयपुर के महाराणा जवान सिंह (1828–38) ने स्थानीय सैनिक टुकड़ियों के व्यय के लिए 15000 रूपये की वार्षिक राशि के साथ पाँच हजार की वार्षिक राशि प्रशासनिक व्यय के लिए भी अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया।"

मारवाड़ राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में 1862 से पूर्व क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई संगठित पुलिसबल विद्यमान नहीं था। पुलिस व्यवस्था क लिये विभिन्न प्रकार की प्रथायें एवं प्रक्रियायें प्रचलित थी। 1861 तक शान्ति व्यवस्था स्थानीय सेना जिसे श्मेरवाड़ा बटालियन कहा जाता था के हाथों में थी जिसका मुख्यालय ब्यावर होता था। इसमें विभिन्न पदों पर 1861 में 10,000 व्यक्ति थे। 1857 के सैनिक विद्रोह में मेरवाडा बटालियन ने अंग्रेजो को सहयोग दिया जिसके कारण इसी वर्ष में एक और मेरे बटालियन की अजमेर मुख्यालय पर स्थापना की गई। आर्थिक कटौती के कारण 1891 में इसे मेरवाड़ा में विलय कर इसका नाम मेरवाड़ा पुलिस बटालियन रखा गया, जिसमें 548 सिपाही थे।"

मेरवाड़ा पलिस बटालियन बल को 1 जनवरी 1862 से पुलिस अधीक्षक के अधीन रखते हुये इसका मुख्यालय ब्यावर से अजमेर कर दिया गया और नोर्थ वेस्ट प्रोविन्सिस पुलिस एक्ट भी इसी दिन से अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में लागू कर दिया गया। मेरवाडा बटालियन में सैनिक और पुलिस अधिकारी होते थे। कमान्डर और सहायक कमान्डर के पदों पर सैनिक अधिकारी और सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस पदेन कमान्डर–इन–सैकिन्ड और डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट ऑफ पुलिस पदेन ऐडजुटेन्ट के पदों पर कार्य किया करते थे। 1862 से 1869 ई. तक कमान्डर का पुलिस सम्बन्धी कार्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 1869 में नैनीताल पुलिस आयोग के सुझावों पर बटालियन के कमान्डर का पद और जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद समाहित कर के एक ही अधिकारी नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिये 2 सहायक भी भी नियुक्त किये गये जिनमें से एक के अधीन मेरवाड़ा तथा दूसरे के अधीन अजमेर क्षेत्र रखे गये। सन् 1866 में कुल स्वीकृत सैनिक व पुलिस बल में 15 सब इन्सपेक्टर 79 हैड कान्स्टेबल, 36 घुडसवार व 388 सवार थे।

उपर्युक्त नवीन व्यवस्था भी आसुविधाजनक पाई गई क्योंकि कमाण्डर अपनी रेजीमैन्ट के साथ ब्यावर में रहता जबकि डिप्टी कमीश्नर अजमेर म बैठता था और दोनों में सम्पर्क होना कई बार कठिन हो जाता था। 1870 ई. में लॉर्ड मेयो ने मेरवाड़ा बटालियन को पूर्णतः सेना अंग बना कर मुख्यालय ब्यावर से अजमेर कर दिया। 1897 में यह बटालियन भारत सरकार के अधीन कर दी गई। 1903 में इसे भारतीय सेना का अंग बनाकर इसका नाम 44 मेरवाड़ा इन्फैन्ट्री कर दिया गया।६

मेवाड़ भील कोर (डठब)

राजपूताना के भौमट क्षेत्र में भीलों के उपद्रवों को रोकने के लिए 1838 में कर्नल स्पीयर्स ने भील कोर खड़ी करने का प्रस्ताव सरकार को पेश किया जिसे महारणा मेवाड़ ने सिद्वान्त रूप से स्वीकार कर कर लिया। 1839 ई. में कर्नल रोबिन्सन को मेवाड़ का पोलिटिकल

एजेन्ट नियुक्त किया गया। इसी दौरान भील और गरासियों ने महाराणा के 3 थानों पर हमला कर 150 आदमियों को मार डाला। जनवरी, 1841 ई. में इस कोर की स्थापना करते समय खैरवाड़ा छावनी में मुख्यालय रखने का मुख्य उद्देश्य सिरोही से मालवा तक और पश्चिम से पूर्व तक फैले भौमट क्षेत्र में भौमियां एवं गरसिया जागिरदारों पर नियन्त्रण रखना एवं उपद्रवों को समाप्त कर क्षेत्र में शान्ति स्थापित करना था। मेवाड़ भील कोर का खैरवाड़ा छावनी में मुख्यालय था। खैरवाड़ा छावनी में पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मेवाड़ भील कोर का कमान्डेन्ट होता था जिसे भौमट क्षेत्र के सम्पूर्ण फौजदारी एवं दीवानी अधिकार

प्राप्त थे। इसकी सहायता के लिए एक सहायक कमान्डेन्ट था जिसकी सब–यूनिट का मुख्यालय कोटड़ा छावनी होता था और वह सहायक पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में कार्य करता था। कोटड़ा छावनी में 1844 ई. में मेवाड़ भील कोर का मुकाम स्थापित किया गया जिस का मुख्य उद्देश्य भी भौमट क्षेत्र के जागीरदारों पर नियन्त्रण रखते हुये उनके उपद्रव समाप्त कर शान्ति स्थापित करना था। वहीं का कमाण्डेन्ट सहायक कमाण्डेन्ट कहलाता था, जिसके अधीन तीन कम्पनियां रहती थी। प्रत्येक कम्पनी का कम्पनी कमाण्डर सुबेदार होता था और प्लाटून कमाण्डर जमादार होता था।

मेवाड़ भील कोर ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में एक मिलिट्री क रूप में खड़ी की गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के कारण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मेवाड़ भील कोर की काफी प्रशंसा की गई। प्रथम विश्व युद्ध (1914–1919) के समाप्त होने से दो दिन पूर्व एम.बी.सी.को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आदेश दिया। किन्तु भील सैनिकों ने जाने से मना कर दिया। क्योंकि उनकी मूल सेवा शर्तों में यह इंगित था। मेवाड़ भील कोर द्वारा भीमट क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के उपरान्त अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इसे श्डिसबैन्डश करने की सिफारिश की गई जिस पर ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति जारी कर दो। 1 अप्रेल 1938 को मेवाड़ भील कोर को श्डिसबैन्डश करने के बाद महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह (1930–56) ने अपने पास कुछ कम्पनियां कमान्डेन्ट मैजर जे.एस. मैक्सवैल के नेतृत्व में रखी थी, जिसने मेवाड़ भील कोर का पुनर्गठन करना प्रारम्भ कर किया। कमान्डेन्ट मेजर मैक्सवैल न जवानों को नये रेजीमेन्टल नम्बर आवंटित किये। उस वक्त मेवाड़ भील कोर की स्वीकृत श्नफरी कमान्डेन्टश सहित कुल 550 अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों की थी। स्वतंत्रता के उपरान्त इसे श्संयुक्त राजस्थान राज्य आर्मी के अन्तर्गत ले लिया गया एवं कोर पर राजस्थान आर्म ओडर्स लागू किये गये।[8]

मारवाड़ में शेखावाटी की ओर से भी लूटपाट होती थी। यहाँ भी उन्नीसवीं शताब्दी के पूवार्द्ध में अशांति सी चल रही थी। इसलिए शेखावाटी क्षेत्र में सुशासन व शान्ति स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने श्शेखावाटी ब्रिगेडश के नाम से सेना का गठन किया था और इसके व्यय के लिए जयपुर राज्य से तुरन्त रकम न मिलने पर कम्पनी सरकार ने जयपुर संभाग की सॉभर झील के नमक की आय वाले क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिये (जनवरी, 1833 ई.)। इसके साथ ही शेखावाटी का क्षेत्र पूर्णतया अपने नियन्त्रण में ले लिया। झुन्झुनु श्शेखावाटी ब्रिगेडश का मुख्यालय था। 1836–37 में श्शेखावाटी ब्रिगेडश को जयपुर राज्य के अधीन कर इसके अधिकारी मेजर फोरस्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी देकर शेखावाटी क्षेत्र के लिए कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये गये। न्यायिक अधिकार मिल जाने के कारण जयपुर रिजेन्सी और शेखावत सरदारों से फोरस्टर का सदा झगड़ा रहता था। सन 1843 में इस ब्रिगेड़ को हटा कर खेतड़ी क्षेत्र में पैदल सिपाहियो की एक रेजीमेन्ट रखी गई और उसका व्यय अंग्रेज सरकार द्वारा ही वहन किया जाने लगा जिसके कारण शेखावटी के सरदार एक बहुत बड़ी रकम के बोझ से बरी हो गये और पुलिस द्वारा वसूली करने की कार्यवाहियां भी बंद हो गई। शेखावाटी क्षेत्र में नित्य नये बखेड़े बने रहते थे और खेतड़ी तो बखेड़ो का करीब–करीब घर ही बना हुआ था। महकमा पुलिस को इन बखेड़ो से निपटने से लिए कई कार्यवाहियां करनी पड़ती थी।

इसी प्रकार ष्कोटा कन्टिन्जेंट[9] की स्थापना भी की गयी। इसका व्यय भी कोटा राज्य को वहन करना पड़ा। कोटा में ब्रिटिश सेना को रखने का महाराव ने विरोध किया। राज्य में आर्थिक संकट होने के कारण इसके खर्चे के लिए रकम का भुगतान करने में महाराव ने असमर्थता प्रकट को। उसका कहना था कि व्यय की एक तिहाई रकम झालावाड़ राज्य से लेने की व्यवस्था की जाये। श्कोटा कन्टिन्जेंट[9] को किस स्थान पर रखा जाये, इस पर किये जा रहे, खर्चे के लिए कितनी रकम कोटा राज्य से ली जाये आदि प्रश्नों को लेकर ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच दीर्घकाल तक पत्र–व्यवहार और विचार–विमर्श होता रहा। अन्ततोगत्वा 1844 ई. में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि कोटा से 55 मील उत्तर में अजमेर जिले में देवली नामक स्थान पर सैनिक छावनी का निर्माण लिया कि कोटा से 55 मील उत्तर में अजमेर जिले में देवली नामक स्थान पर सैनिक छावनी का निर्माण कर कोटा कन्टिन्जेंट की वहाँ स्थापना कर दी जाये। इसके खर्चे के लिए कोटा राज्य से प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये लेना निश्चित हुआ। महाराव ने इसे स्वीकार कर लिया। फरवरी, 1857 ई. में देवली में छावनी के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर श्कोटा कन्टिन्जेंट का वहाँ स्थायी रूप से स्थानान्तरण कर दिया गया। देवली में श्कोटा कन्टिन्जेंटश की स्थापना से हाड़ौती व उसके निकट के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सत्ता का दबदबा बना रहा और इससे राजसथान में कम्पनी सरकार की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई।

निष्कर्ष

इस प्रकार ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के पश्चात् धीरे–धीरे मारवाड़ एवं अन्य राजपूत राज्यों में सामन्तों का महत्त्व कम होने लगा। राज्यों पर बाह्य आक्रमणों का भय भी समाप्त सा ही हो गया। पूर्व में पड़ोसी राज्यों से संघर्ष चलते रहते थे अब उनकी भी सम्भावना नहीं रही। ऐसी स्थिति में शासकों को अपने सामन्तों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी शासक को ब्रिटिश सरकार से सहयोग अपेक्षित था। ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में मेर रेजीमेन्ट, जोधपुर लीजन, शेखावाटी ब्रिगेड, भील कोर, कोटा कन्टिन्जेंट जैसे सैनिक दस्तों का गठन किया जा चुका था। इनका सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकारें वहन करती थीं। राज्य में शान्ति भंग होने की स्थिति में शासक द्वारा उक्त सैनिक दस्तों का प्रयोग किया जा सकता था। शासकों के लिए सामन्तों का विशेष महत्त्व नहीं रहा। इसलिए ये अपने सामन्तों की अवहेलना करने लगे थे। राजपूत सामन्त पूर्व में अपने शासक को सैनिक सेवा प्रेषित करने में प्रतिष्ठा व गौरव का अनुभव करते थे। सामन्तों को शक्तिहीन बनाकर करदाता के रूप में परिवर्तित करने की ब्रिटिश सरकार की नीति का प्रबल विरोध हुआ। सामन्तों ने इसे अपनी प्राचीन परम्परागत प्रतिष्ठा पर घातक प्रहार माना। अतः राजपूत सामन्त वर्ग इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से रूष्ट रहा। जिसकी प्रतिध्वनि 1857 के विद्रोह एवं अन्य अवसरों पर देखी गयी।

REFERENCES

1. गुप्ता, आनन्द स्वरूप दि पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया (1861-1947) नई दिल्ली, 1979, पृ. 1

2. गुप्ता, आनन्द स्वरूप दि पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया (1861-1947) नई दिल्ली, 1979, पृ.2

3. डा. शर्मा, जी. एन. राजस्थान थू द एजेज वाल्यूम 2. राज राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पृ.72-75

4. डा. शर्मा, जी. एन, पूर्वोक्त, पृ.72-75

5. टॉड, भाग 2, पृ. 118-119, व्यास, आर.पी. पृ. 57-58, पद्मजा शर्मा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह और उनका काल, पृ. 108-09.

6. बरकतअली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, पृ. 47-48, गवर्नमेन्ट आदेश नं. 1360, दिनांक जून 25, 1846 सोमानी द्वारा उद्धृत, पृ. 204.

7. विल्डर की रिपोर्ट (प्रथम आगमन पर), 1818, फो.पो. फरवरी 20, 18199, नं. 18-19.

8. फो.पो. अक्टूबर 19, 1834, नं. 32. फो.पो. फरवरी, 1836, नं. 64-66, आर.पी. व्यास, वही, पृ. 88.

9. व्यास, प्रकाश, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, पंचशीन प्रकाशन, पृ. 54.

10. एचीसन, ट्रीटीज एण्ड एंगेजमेन्ट्स (1933), खण्ड 5. संधि क्रमांक 8, पृ. 409-410-11

11. गौ.ही. ओझा, पूर्वोक्त, पृ. 710.

12. वही, पृ. 710-12, एवं राजेन्द्र जोशी, उन्नीसवीं शताब्दी का अजमेर, राज. हि. ग्र. अ. जयपुर, पृ. 25-26.

13. राजेन्द्र जोशी, वही, पृ. 27-28.

14. रछोया, पूर्वोक्त, पृ.

15. रहोया, पूर्वोक्त, पृ.

16. रछोया, पूर्वोक्त, पृ.

17. रछोया, पूर्वोक्त. पृ.

18. रछोया, पूर्वोक्त, पृ.

19. बुक, जे.सी. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जयपुर, पृष्ठ 36. खड्गावत, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 4.

20. रछोया, पूर्वोक्त, पृ.

21. वशिष्ठ, वी.के. पूर्व उद्धत, पृ. 90-95.

22. व्यास, प्रकाश, पूर्वोक्त, पृ. 54.

23. फो.पो. कन्सलटेशन, 17 फरवरी, 1854, नं. 152-59, आर.पी. व्यास, पूर्व उद्धृत, पृ. 121.